न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 30/2021

1. ओम प्रकाश पुत्र मल्लूराम जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
2. राहुल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
3. कोमल शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
4. सुमन शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
5. तारा शर्मा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
6. भगवानी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
7. लोकेश शर्मा पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
8. ममता शर्मा पुत्री नन्द किशोर जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
9. अंकिता शर्मा पुत्री नन्द किशोर जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
10. वर्षा शर्मा पुत्री नन्द किशोर जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़
11. रितूरानी शर्मा पुत्री नन्द किशोर जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़

जरिये मुख्त्यार आम धर्मपाल गोदारा पुत्र दयानन्द गोदारा जाति जाट साकिन किकांली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. प्रबन्धक मण्डी समिति हनुमानगढ़
3. नगरपालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. उपखण्ड़ अधिकारी एवं भू–अवाप्ति अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 3
3. पैरोकार राज, रेस्पो0 संख्या 1 व 4

:: निर्णय ::

दिनांकः– 11.11.2021

1. अपील मीमों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय इंतकाल संख्या 257 स्वीकृत दिनांक 19.4.2005 जिसके द्वारा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 320/1 की 0.038 है0 व खसरा न. 320/2 की 0.177 है0 व खसरा न. 320/3 की 0.478 है0, खसरा न. 320/4 की 1.607 है0 रकबा गैर मुमकिन मण्डी ऐरिया से नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा अपीलांट ने उक्त रकबा आराजी राज दर्ज होने के पश्चात की तमाम कार्यवाहीयां गैरमुमकिन मण्डी समिति व नगरपालिका, सूरतगढ़ को हस्तांतरित करने की तमाम कार्यवाहियों को निरस्त करते हुए यह रकबा पुनः अपीलांटगण के नाम दर्ज करने बाबत पेश की।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने निवेदन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ का उक्त जैर अपील रकबा अपीलांटगण के पिता का खातेदारी रकबा था। अपीलांट के पिता के फौत होने के पश्चात उक्त रकबा का विरास्तन इंतकाल अपीलांट संख्या 01 ओम प्रकाश व अपीलांट संख्या 2 ता 6 के पति/पिता जगदीश प्रसाद, अपीलांट संख्या 7 ता 11 के पिता नन्दकिशोंर के नाम विरास्तन दर्ज हुआ। तत्पश्चात यह रकबा राज्य सरकार द्वारा मण्डी समिति हेतु भूमि अवाप्ति के लिए मांगा गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

मांगी गई भूमि शुद्ध आराजीराज अवाप्त करने हेतु कहा गया था। जब मण्डी समिति के लिए रकबा अवाप्त किया तो अपीलांटगण का उक्त खातेदारी रकबा का बिना मुआवजा, बिना किसी प्रतिकर, बिना नोटिस, बिना सूचना व बिना सुनवाई के अपीलांट के पीठ के पीछे अराजीराज दर्ज कर गैर मुमकिन मण्डी समिति के नाम दर्ज कर दिया। अपीलांट के पति/पिता/दादा ने अवाप्ती के समय भू-प्रबंधक अधिकारी एसीसी आरसीपी सूरतगढ़ के समक्ष इस रकबा के बदले मुआवजा की मांग भी की थी लेकिन भू प्रबंध अधिकारी द्वारा अपीलांट के पति/पिता/दादा की पत्रावली को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अवाप्ति अधिनियम के नियम 4-6 के नोटिफिकेशन का प्रकाशन नहीं हुआ है यानि अपीलांटगण का उक्त रकबा मण्डी समिति में अवाप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात बिना मुआवजा बिना प्रतिकर व बिना सुनवाई रकबा आरजीराज कर गैर मुमकिन मण्डी समिति के नाम दर्ज कर दिया गया। इस रकबा का मण्डी समिति द्वारा कभी भी कब्जा नहीं लिया गया। जैर अपील रकबा का कब्जा आज तक ना तो कभी मण्डी ने लिया व न कभी नगरपालिका सूरतगढ़ ने लिया। उक्त रकबा का कब्जा आज तक अपीलांटगण के पास ही चला आ रहा है। अपीलांटगण ने निवेदन किया है कि उनके पिता/दादा के नाम के खातेदारी रकबा को विधिविरूद्व तरीके से उनके नाम से हटाकर आराजीराज दर्ज करने गैरमुमकिन मण्डी दर्ज करने व नगरपालिका को हस्तांतरण करने के दौरान अपीलांटगण व अपीलांटगण के पति/पिता/दादा को ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया व ना ही किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई तथा नही ही किसी प्रकार की सुनवाई हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीठ के पीछे अपने ही कयासों के आधार पर अपीलांटगण के पूर्वजों के खातेदारी रकबा को अपीलांटगण के पति/पिता/दादा के नाम से हटाकर आरजीराज दर्ज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विरूद्व पारित किया है। तथा अपीलांटगण ने यह भी निवेदन किया कि जब मण्डी ऐरिया हेतु भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव बनाया जा रहा था तब अपीलांट के पति/पिता/दादा ने एक विनिमय पत्र बाबत मुआवजा भरा था जिसमें पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में खातेदारी रकबा का किसी प्रकार का तबादला/मुआवजा/प्रतिकर नहीं दिया गया, अंकित है। मौका पर आज भी कब्जा अपीलांटगण का है। मात्र पेपर में इंतकाल आरजीराज व गैरमुमकिन मण्डी समिति व तत्पश्चात नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज किया गया है। भौतिक रूप से कब्जा रेस्पोडेंटगण ने कतई नहीं लिया तथा मात्र इंतकाल से कभी अधिकारों का सर्जन नहीं होता। अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि उनके पूर्वजों के खातेदारी रकबा को मात्र अपने ही कयासों के आधार पर आरजीराज, गैरमुमकिन मण्डी समिति तत्पश्चात नगरपालिका के नाम दर्ज किया है जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। यह आदेश शुरू से शून्य आदेशों की श्रेणी में आता है। अपीलांटगण को इस आदेश की कोई जानकारी नहीं थी रेस्पो0 संख्या 03 के कर्मचारी ने रकबा खाली करने को कहा तब अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए अपील फैसले की जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल निरस्त कर जैर अपील रकबा पुनः अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाने बाबत निवेदन किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपिठत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील मीमों में इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.04.2005 दर्ज होने से सहवन से रह जाने से अपील में जहां जहां त्रुटि व भूलवंश इंतकाल संख्या दर्ज नहीं है वहां वहां इंतकाल संख्या 257 व दिनांक 19.4.2005 अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 3865/95 अनवान बागअली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय 08.05.2002 की प्रमाणित प्रति तथा रिट संख्या 3676/93 अनवान मुस्मात बिसमिल्लाह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 06.07.1998 की प्रमाणित प्रति को शामिल पत्रावली किये जाने का निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटगण ने दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट ने अपील मीमों में इंतकाल संख्या 257 स्वीकृति दिनांक 19.4.2005 दर्ज किया जाने का निवेदन किया है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटगण की अपील में खाली स्थानों पर लाल स्याही इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.4.2005 अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

निर्णयों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के निर्णयों को शामिल पत्रावली किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों को शामिल पत्रावली की जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करने तथा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार करते हुए अपील अपील स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया।
5. रेस्पो0 संख्या 1 व 4 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है तथा जैर अपील रकबा के बाबत अवाप्ति की विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। अपीलंटगण हितबद्व पक्षकार नहीं है व जैर अपील रकबा अर्षा दराज से रेस्पो0 के नाम से दर्ज है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
6. रेस्पो0 संख्या 2 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर प्रकरण रकबा के बाबत दिनांक 24.02.1972 को राजस्थान उपनिवेशन विभाग द्वारा सूरतगढ़ मण्डी समिति के मास्टर प्लान हेतु आवप्त की जाने की सूचना सार्वजनिक विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) का प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस पर उक्त भूमि का विवरण दिया गया है। सन् 1985–86 में भू प्रबंधक विभाग द्वारा संवत् 2042 के द्वारा धारा 21 की जमाबंदी लेखन के दौरान गैरमुमकिन मण्डी के नाम रकबा दर्ज किया गया व मण्डी विकास समिति हनुमानगढ़ का सन 2002 में विघटन हो जाने के पश्चात जैर प्रकरण रकबा दिनांक 09.04.2005 को नामांतरण संख्या 257 से नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हो गया। इस रकबा के बाबत भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक रिट पेटीशन में भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि धारा 4/6 के नोटिफिकेशन की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है व मण्डी समिति के लिए की गई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।
7. रेस्पो0 संख्या 2 मण्डी समिति की ओर से सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सूरतगढ़ ने दौराने बहस अपने जवाब के तथ्यों को दौहराया व निवेदन किया है कि जैर प्रकरण रकबा के बाबत अवाप्ति का कोई रिकार्ड उनके पास नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि पर कोई गोदाम ईत्यादि मण्डी समिति द्वारा बनाये गये। अतः मण्डी समिति के हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जावे।
8. रेस्पो0 संख्या 3 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा की अवाप्ति बाबत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.02.1972 को विज्ञप्ति जारी की गई जिसका प्रकाशन दिनांक 13.03.1972 को किया जाकर उक्त खातेदारी व अन्य आरजीराज दोनों प्रकार की भूमि को आवाप्त की जाने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी कर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अवाप्ति के संबंध में धारा 4 (1), धारा 5, 5 (ए) व धारा 6 के संबंध में नगरपालिका के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जैर अपील भूमि को अवाप्त किया जाने के लिए धारा 4 व धारा 6 का नोटिफिकेशन जारी होकर भूमि का अधिग्रहण कर कब्जा प्राप्ति के संबंध में तथा अपीलांटगण की अर्न्तवलित भूमि का अवार्ड जारी होकर अधिगृहण कर मुआवजा दिये जाने का रिकार्ड नगरपालिका को उपलब्ध नहीं हुआ है। वास्तिविक तथ्य भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ही स्पष्ट किये जा सकते है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इस अपील में पक्षकार संयोजित है अतः स्पष्ट तथ्य भूमि अवाप्ति अधिकारी से ही से लिये जाने का निवेदन किया। अपील में अर्न्तवलित भूमि नगरपालिका को मण्डी समिति के विघटन होने पर विधिवित रूप से हस्तांतरण होने पर प्राप्त हुई है। नामांतरण निरस्त योग्य नहीं है तथा भूमि का स्वामित्व नगरपालिका सूरतगढ़ में निहित है, अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।
9. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण ने यह अपील अपने पूवर्ज मल्लूराम के खातेदारी रकबा को जरिये इंतकाल संख्या 257 स्वीकृत दिनांक 19.4.2005 से गैर मुमकिन मण्डी से नगरपालिका, सूरतगढ़ के नाम दर्ज करने के विरूद्व प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजों के अनुसार अपीलांटगण ने स्वयं को मृतक मल्लूराम के जायज वारिस होना अंकित करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

10. जैर अपील इंतकाल संख्या 257 अपीलांटगण को सुनकर पारित किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया जाने तथा अपीलांट के शपथ पत्र अनुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ज्ञान नहीं होने के कारण अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर इस अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना हम उचित समझते है।

11. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में वर्णित रकबा अपीलांटगण के पूर्वज मल्लूराम पुत्र लाभूराम जाति ब्राहमण के नाम से रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 320/1 की 0.038 है0 व खसरा न. 320/2 की 0.177 है0 व खसरा न. 320/3 की 0.478 है0, खसरा न. 320/4 की 1.607 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना प्रकट होता है। मल्लूराम पुत्र लाभूराम के फौत हो जाने के बाद उसके वारिस ओम प्रकाश, जगदीश प्रसाद व नन्दकिशोर के नाम जैर अपील रकबा का विरास्तन इंतकाल दर्ज होना प्रतीत होता हैं। तत्पश्चात इस रकबा के आवाप्ति के बाबत सा0नि0वि0 द्वारा दिनांक 24.02.1972 को विज्ञप्ति जारी कर अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। अपीलांट को जैर अपील रकबा के बदले कोई मुआवजा दिया गया हो अथवा उक्त रकबा के बदले अन्यत्र रकबा दिया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर की रिट संख्या 3865/95 अनवान बागअली बनाम राजस्थान सरकार आदि में दिनांक 08.05.2002 को पारित निर्णय अनुसार भूमि अवाप्ति के नोटिफिकेशन अन्तर्गत धारा 4 व 6 आदेश दिनांक 06.7.1998 से अपास्त हो गये तथा रिट संख्या 3676/1993 मुस्मात बिसमिलाह बनाम राजस्थान सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 06.7.1998 के अनुसार अवाप्त किये जा रहे रकबा के बाबत अवाप्ति की कार्यवाही दो साल में पूरी कर अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा दो साल में लिया जाना अनिवार्य है। अपीलांटगण ने जैर अपील भूमि का कब्जा आज दिनांक तक अपीलांट के पास होना अंकित किया गया है। अपीलांटगण को उनके खातेदारी रकबा से कब्जा लिया जाकर उन्हे बेदखल किये जाने के भी कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की कार्यवाही भी विधिसम्मत तरीके से पूरी की गई हो ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेंट्स द्वारा पेश नहीं किये गये है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जानी हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा रोही कस्बा सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 257 दिनांक 19.4.2005 में वर्णित जैर अपील रकबा की हद तक का इंतकाल निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (राजस्थान)

Scanned by CamScanner